<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 738 / 07

संस्थित दि.: 19/12/07

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — अभियोर्ग

<u>विरूद्ध</u>

रमेश पिता मिलाराम यादव, उम्र 27 साल, जाति अहीर, निवासी मोतीनपुर थाना रेंगाखार जिला कवर्धा (छ.ग.)

– – – – – – – – आरोपी

—:<u>: निर्णय :</u>:--

(आज दिनांक 10/10/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 09/12/2007 को रात्रि के करीब 09:00 बजे, ग्राम मानेगांव आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत फरियादी दयाराम के रहवासी मकान में चौरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश करके रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादी दयाराम के आधिपत्य के एक जोड़ी बैल कीमती 12,500/— रूपये को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दयाराम ने दिनांक 11.12.2007 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि उसने दिनांक 29.11.2007 को एक जोड़ी बैल कीमती 12,500/— रूपये खरीदे थे। दिनांक 09.12.2007 को बैल घर के अन्दर बांधकर पैरा खाने के लिए देकर सांकल चढ़ाकर घर में सौ गया सुबह 05:00 बजे उसने दरवाजा खुला देखा और बैल नहीं थे। उसका एक बैल पीले रंग का और एक बैल लाल रंग

का कोई व्यक्ति चुराकर ले गया है आसपास तलाश करने पर नहीं मिलने पर उसने दिनांक 04.12.2007 में आरक्षी केन्द्र बिरसामें रिपोर्ट की। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में अपराध कमांक 83/07 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से चोरी गये बैल जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 3810 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- (03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप—पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।
- (04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने फरियादी से मिलकर शंका वश उसके खिलाफ झूठी कार्यवाही कर उसे झूंठा फंसाया है।
- (05) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-
 - (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 09/12/2007 को रात्रि के करीब 09:00 बजे, ग्राम मानेगांव आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत फरियादी दयाराम के रहवासी मकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश करके रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
 - (ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी दयाराम के आधिपत्य के एक जोड़ी बैल कीमती 12,500/— रूपये को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की ?

—::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::—

विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ' एवं 'ब्'े-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'बः

का एक साथ विचार किया जा रहा है।

- (07) अभियोजन साक्षी / फरियादी दयाराम (अ.सा.01) का कहना है कि उसने 12,000 / रूपये में एक पीले रंग का और एक लाल रंग का बैल खरीदे थे। खरीदने के 8—10 दिन बाद उसके घर के कोठे में से चोरी हो गये थे जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई थी। आसपास तलाश करने पर पीड़ी तराई में आरोपी एक बच्चे के साथ बैलों के साथ मिला था। आरोपी रमेश उसके घर से उसके एक जोड़ी बैल चोरी करके ले गया था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शिवचरण (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। दयाराम ने उसे बताया था कि उसके बैल चोरी हो गये, चोरी की रिपोर्ट दयाराम उसके साथ थाने में जाकर लिखाई थी।
- (08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता ए.एम.सैयाम (अ.सा.09) का भी कहना है कि उसने दिनांक 11.12.2007 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए फरियादी दयाराम की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक 83/07 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी—04 है। फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था। आरोपी रमेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—05 बनाया था। आरोपी से गवाहों के समक्ष बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—01 तैयासर किया था। फरियादी दयाराम साक्षी शिवचरण, सोमलाल, नानाराम, भागवत, तिहारूलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।
- (09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी तिहारूलाल (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के 20—22 माह पुरानी हैं। उसके बैल चोरी हो गये थे ढूढ़ने पर पीड़ी तराई में आरोपी रमेश के पास से मिले उसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर रिपोर्ट की थी। इसी प्रकार फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी नानाराम (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी है। तिहारू ने उसे बताया था कि उसके बैल चौरी हो गये तो वह बैल ढूढ़ने निकले थे। पीड़ी तराई में रमेश के पास मिले थे। बैल छिनकर लाये और थाने में रिपोर्ट की थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी सोमालाल (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के 20 माह पुरानी है। उसके पिता के बैल घर में से चोरी हो गये थे। वह लोगों के साथ बैलों को ढूढ़ने गया था और बैल मिले थे। इसी

प्रकार अभियोजन साक्षी भगवत (अ.सा.०८) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के पांच वर्ष पुरानी है। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसके बैल चोरी हो गये। गांव वालों ने पीड़ी तराई में व्यक्तियों को बैल ले जाते हुए पकड़ा था।

- विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी धीराजी (10) (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसको कथन के चार वर्ष पुरानी है। वह शाम के समय खेत से आ रहा था। टाटावाही गांव में आरोपी अकेला आ रहा था उसने आरोपी से पूछा तो वह भागने लगा आरोपी को पकड़कर गांव के सरपंच के पास ले गये थे। सुबह आरोपी का भाई बैल चुराकर ले जा रहा था। उसके सामने आरोपी रमेश से पुलिस ने दो बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था और आरोपी रमेश को को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि मानेगांव और करौंदा से दो बैल चोरी करने के बारे में उसे आरोपी ने बताया था और आरोपी रमेश और गणेश के पास दो बैल भी थे। आरोपीगण से पुलिस ने उसके सामने बैल जप्त किये थे। इसी प्रकार विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी तीरथ (अ.सा.०६) का भी कहना है कि घटना उसके घटना के चार वर्ष पुरानी है। शाम के 07:00 बजे के आसपास एक व्यक्ति से उससे टाटावाही में पता पूछा तो वह भागने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ा और सरपंच के पास ले गये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी तीरथ को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।
- आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव में तर्क है कि फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है और असत्य कथन किये है। जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी तीरथ को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है एवं साक्षी धीराजी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से भी अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- आरोपी रमेश (ब.सा.01) ने बचाव में कथन किये है कि वह घटना के (12) समय सोनाराम के साथ बैल-भैस चराता रहा था थाने से एक व्यक्ति ने उसे बुलाया ALLAND A

और झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे झूठा फंसाया है। उसके द्वारा कोई चोरी नहीं की गई और उससे कोई बैल भी जप्त नहीं हुए थे। उसके भाई को भी पुलिस पकड़ कर लाई थी। इसी प्रकार सोनाराम (ब.सा.02) का भी कहना है कि आरोपी रमेश उसके साथ गांव के बैल मजदूरी पर चराने का कार्य करता था। आरोपी रमेश को एक व्यक्ति बुलाकर ले गया था और झूठे प्रकरण में बंद कर दिया था।

- (13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (14) अभियोजन साक्षी / फरियादी दयाराम (अ.सा.०1) का कहना है कि उसने 12,000 / रूपये में एक पीले रंग का और एक लाल रंग का बैल खरीदे थे। खरीदने के 8—10 दिन बाद उसके घर के कोठे में से चोरी हो गये थे जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई थी। आसपास तलाश करने पर पीड़ी तराई में आरोपी एक बच्चे के साथ बैलों के साथ मिला था। आरोपी रमेश उसके घर से उसके एक जोड़ी बैल चोरी करके ले गया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी स्पष्ट बताया है कि आरोपी को उसके लड़के ने चोरी गये बैलों के साथ गांववालों की मद्द से घेरकर पकड़ा था।
- (15) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता ए.एम.सैयाम (अ.सा.०९) का भी कहना है कि उसने दिनांक 11.12.2007 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए फरियादी दयाराम की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक 83/07 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रदर्श पी—04 है। फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—05 तैयार किया था। आरोपी रमेश को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—05 बनाया था। आरोपी से गवाहों के समक्ष बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—01 तैयासर किया था। फरियादी दयाराम साक्षी शिवचरण, सोमलाल, नानाराम, भागवत, तिहारूलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (16) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी तिहारूलाल (अ.सा.०५) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के 20–22 माह

पुरानी हैं। उसके बैल चोरी हो गये थे ढूढ़ने पर पीड़ी तराई में आरोपी रमेश के पास से मिले उसके बाद आरोपी को थाने ले जाकर रिपोर्ट की थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

- फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन (17) साक्षी नानाराम (अ.सा.०४) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी है। तिहारू ने उसे बताया था कि उसके बैल चौरी हो गये तो वह बैल ढूढ़ने निकले थे। पीड़ी तराई में रमेश के पास मिले थे। बैल छिनकर लाये और थाने में रिपोर्ट की थी। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- अभियोजन साक्षी सोमालाल (अ.सा.03) का भी कहना है कि घटना उसके (18) कथन के 20 माह पुरानी है। उसके पिता के बैल घर में से चोरी हो गये थे। वह लोगों के साथ बैलों को ढूढ़ने गया था और बैल मिले थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी शिवचरण (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। दयाराम ने उसे बताया था कि उसके बैल चोरी हो गये, चोरी की बैल दयाराम ने लिखाई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी भगवत (अ.सा.०८) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के पांच वर्ष पुरानी है। उसके पिता ने उसे बताया था कि उसके बैल चोरी हो गये। गांव वालों ने पीड़ी तराई में व्यक्तियों को बैल ले जाते हुए पकड़ा था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी धीराजी (अ.सा.07) का भी कहना है कि घटना उसको कथन के चार वर्ष पुरानी है। वह शाम के समय खेत से आ रहा था। टाटावाही गांव में आरोपी अकेला आ रहा था उसने आरोपी से पूछा तो वह भागने लगा आरोपी को पकड़कर गांव के सरपंच के पास ले गये थे। सुबह आरोपी का भाई बैल चुराकर ले जा रहा था। उसके सामने आरोपी रमेश से पुलिस ने दो बैल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 बनाया था और आरोपी रमेश को को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा ALIMAN A पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि मानेगांव और करौंदा से

दो बैल चोरी करने के बारे में उसे आरोपी ने बताया था और आरोपी रमेश और गणेश के पास दो बैल भी थे। आरोपीगण से पुलिस ने उसके सामने बैल जप्त किये थे।

- (20) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी तीरथ (अ.सा.06) का भी कहना है कि घटना उसके घटना के चार वर्ष पुरानी है। शाम के 07:00 बजे के आसपास एक व्यक्ति से उससे टाटावाही में पता पूछा तो वह भागने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ा और सरपंच के पास ले गये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—01 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है जिससे अभियोजन के प्रकरण का आंशिक समर्थन होता है।
- (21) फरियादी दयाराम (अ.सा.०1) एवं विवेचनाकर्ता ए.एम.सैयाम (अ.सा.०9) तथा साक्षी तिहारूलाल (अ.सा.०5), नानाराम (अ.सा.०4), सोमलाल (अ.सा.०5) ने स्पष्ट कथन किये है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन नहीं हुआ और न ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास आया है जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी तीरथ (अ.सा.०6) एवं धीराजी (अ. सा.०7) के कथनों से भी अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि होती है। मात्र साक्षी धीराजी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हो जाने से ही अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद नहीं कहा जा सकता।
- (22) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी को पुलिस ने झूठी विवेचना कर असत्य आधार पर झूठा फंसाया गया है, किन्तु बचाव में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया, जिससे यह प्रकट होता है कि आरोपी को पुलिस ने झूठी विवेचना कर असत्य कथनों के आधार पर फंसाया है। यह बचाव साक्षियों के कथनों से परिलक्षित होता है।
- (23) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी रमेश ने दिनांक 09/12/2007 को रात्रि के करीब 09:00 बजे, ग्राम मानेगांव आरक्षी केन्द्र बिरसा के अन्तर्गत फरियादी दयाराम के रहवासी मकान में चोरी करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश करके रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित

किया एवं फरियादी दयाराम के आधिपत्य के एक जोड़ी बैल कीमती 12,500 / — रूपये को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की।

- (24) परिणाम स्वरूप आरोपी रमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- (25) प्रकरण में आरोपी रमेश पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी रमेश को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
- (26) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थिगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

- (27) <equation-block> दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- (28) आरोपी रमेश के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी रमेश का यह प्रथम अपराध है। आरोपी रमेश की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी रमेश नवयुवक होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।
- (29) आरोपी रमेश के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (30) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (31) आरोपी रमेश की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेश व्यक्ति एवं नवयुवक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपी रमेश द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी रमेश को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दिण्डत करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी रमेश द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी रमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500 / —रूपये के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के आरोप में दो

वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500 / — रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी रमेश को एक — एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी रमेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दी गई दो—दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एक साथ पुगताई जावे।

- (32) आरोपी रमेश द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- (33) प्रकरण में जप्तशुदा एक जोड़ी बैल सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।
- (34) निर्णय की एक प्रति आरोपी रमेश को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

ई) (डी.एस.मण्डलोई) ग्रम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)